File No.C-15025/194/2015-DFQC(FOOD)

फा .सं.पी.15026/195/2015-एफआर
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2020

## सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय खाद्य सुरक्षा और मानकों (संशोधन) बिल, 2020 को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एक मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) बिल तैयार किया गया है और आम जनता/हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए इसके साथ संलग्न किया गया है।

आम जनता/हितधारकों सार्वजनिक नोटिस अपलोड करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से अपने टिप्पणी/सुझाव neeraj.s@nic.in ईमेल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न -यथोक्त

(नीरज सचदेवा)

अवर सचिव, भारत सरकार

1920658/2020/FR

**खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव**
**13 अगस्त, 2006 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद की स्थिति**

| क्रम सं0 | वर्तमान उपबंध | प्रस्तावित संशोधन | कारण/औचित्य |
|---|---|---|---|
| 1 | **प्रस्तावना में संशोधन**<br><br>खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना | **प्रस्तावना में संशोधन**<br><br>प्रस्तावना में ''खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने'' शब्दों के बाद ''और चारा'' शब्द जोड़े जाएँगे।<br><br>प्रस्तावना में ''मानव उपभोग'' शब्दों के बाद ''चारा'' शब्द जोड़े जाएँगे।<br><br>प्रस्तावना में ''विक्रय'' शब्द के बाद और ''आयात'' शब्द से पहले | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिदेश के तहत खाद्य-उत्पादी पशुओं के लिए चारे का उपबंध करने हेतु। चूँकि चारे का विनियमन मानव उपभोग के लिए खाद्य की सुरक्षा से सीधा संबंध है, अधिकांश देशों में 'चारे' और 'मानव आहार' भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सरीखे एक ही विनियामक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हैं। भारत में पशु पालन और डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय 'चारे' को एफ.एस.एस.ए.आई के नियंत्रणाधीन करने का हिमायती है। इस संबंध में माननीय पशु पालन और डेयरी मंत्री के दिसंबर, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | करने,मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम | ''निर्यात'' शब्द जोड़ा जाएगा। | 2019 के पत्र का हवाला लिया जा सकता है। कोडेक्स और ईयू विनियमों के अनुसार ''चारे'' की परिभाषा को नए रूप में देने का प्रस्ताव है।<br><br>आगे,'निर्यात' को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय से इस तात्पर्य का संदर्भ प्राप्त हुआ है कि एफ.एस.एस.ए.आई 'चारे' को भी विनियमित करे। इस संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई के आदेश सं0 1/351/ एफ.एस.एस.ए.आई/ आयात/2013, दिनांक 21 जनवरी, 2015 का हवाला लिया जा सकता है। यह बड़े देशों और कोडेक्स के विधानों के अनुरूप है। |
| 2. | **खंड 2**<br><br>नियंत्रण की समीचीनता के संबंध में संघ द्वारा घोषणा | धारा 2 का निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाना है:<br><br>**"**नियंत्रण की समीचीनता के संबंध में | कृपया भारत के संविधान की समवर्ती सूची की सूची 3 (अनुसूची 7) की प्रविष्टि 33 देखने का कष्ट करें, जो निम्नानुसार है:<br><br>''33. (क) जहाँ संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को सभी खाद्य पदार्थों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। | संघ द्वारा घोषणा:<br><br>एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को आहार और चारा उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। | संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहाँ उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में,<br><br>(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं,<br><br>(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं,<br><br>(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और<br><br>(ङ) कच्चे जूट का,<br><br>व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।'' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | क्रम सं0 1 का क्षेत्राधिकार इस प्रस्ताव के संबंध में भी समीचीन है। |
| 3 | अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ''चारे'' की परिभाषा को शामिल करना | "बाहरी सामग्री" से संबंधित धारा 3 की उप-धारा 1 के खंड **(i)** के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:<br><br>"चारा" से कोई वह पदार्थ अभिप्रेत है, जो पिसा हुआ, गुल्ला अथवा टुकड़ों के रूप में हो, उसमें ऊर्जा का स्रोत और ऊतक-निर्माणी घटक हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज इत्यादि, जिनसे पोषण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी हों, जो जीवन के रख-रखाव अथवा पशुओं के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हों। इनमें | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | चारे के सहयोज्य पदार्थ, वनस्पति अथवा पशु मूल के विभिन्न उत्पाद प्राकृतिक अवस्था, ताजा रूप में अथवा परिरक्षित रूप में, मिश्रित चारे, औषधयुक्त चारा, जीन-परिवर्तित चारा और उनके औद्योगिक प्रसंस्करण से व्युत्पन्न उत्पाद, तथा जैविक अथवा अजैविक पदार्थ, मिश्रित चारा तैयार करने अथवा पूर्व मिलावे के रूप में आशयित सहयोज्यसहित अथवा रहित पदार्थ शामिल हैं। इनमें पशु चिकित्सा संबंधी उत्पाद और जल शामिल नहीं है। | |
| 4 | **धारा 3(1)(घ)** | अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा | कोडेक्स में शामिल ''दावे'' की परिभाषा से सुमेलित करने के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दावे'' से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा की जाती है कि किसी खाद्य में उसके उद्भव, पोषक तत्व, प्रकृति, प्रसंस्करण, सम्मिश्रण या अन्यथा से संबंधित विशिष्ट क्वालिटियाँ हैं। | (1)(घ) में ''विशेष'' शब्द के बाद ''गुणता'' शब्द की जगह ''लक्षण'' शब्द तथा ''संघटन अथवा अन्यथा'' शब्दों के बाद ''अथवा अन्य कोई गुणता'' शब्द रखे जाएँ। | लिए |
| 5 | **धारा 3(1)(ङ)**<br>''खाद्य सुरक्षा आयुक्त'' से धारा 30 के अधीन नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है; | **धारा 3(1)(ङ)**<br>अधिनियम की धारा 3(1)(ङ) में ''धारा 30 के अंतर्गत'' शब्दों के बाद ''और इसमें खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है'' शब्द रखे जाएँ। | खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने तथा धारा 10(5) में विधान के उपबंध और आशय को सुमेलित करने के लिए। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **धारा 3(1)(च)**<br><br>''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, ऐसे व्यक्ति और कुटुंब जो अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य क्रय करते हैं या प्राप्त करते हैं; | **धारा 3(1)(च) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाना है :**<br><br>'उपभोक्ता' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो खाद्य खरीद रहा हो और प्राप्त कर रहा हो, परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसा खाद्य पुन: बिक्री के लिए अथवा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त कर रहा हो। | यह परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के अनुरूप है। |
| 7. | **धारा 3(1)(ढ)**<br><br>**''खाद्य कारोबार''** से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है, चाहे वह लाभ के लिए है या नहीं और चाहे वह सार्वजनिक है या प्राइवेट जो खाद्य | धारा 3 (1) (ढ)<br>अधिनियम की धारा 3 में, उप खंड (1) (ढ) में, शब्दों के बाद भोजन का वितरण, निर्यात शब्द, 'डाला जाएगा। | वर्तमान में, निर्यात गतिविधियाँ निहित हैं। यह संशोधन, साथ ही प्रस्तावना में प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के दायरे में भोजन के निर्यात से संबंधित सभी गतिविधियों को लाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आयात के किसी प्रक्रम से संबंधित क्रियाकलापों में से किसी को कर रहा है और इसके अंतर्गत खाद्य सेवाएँ, जलपान सेवाएँ, खाद्य या खाद्य संघटकों का विक्रय भी है; | | |
| 8. | **धारा 3(1)(णक)**<br>''खाद्य संपर्क सामग्री'' की परिभाषा शामिल की जानी है। | 3 (1) (क)<br>'खाद्य संपर्क सामग्री 'का अर्थ है भोजन के संपर्क में आने वाली कोई भी सामग्री या भोजन के संपर्क में आने के लिए अपेक्षित या यथोचित।' | यह उन सभी सामग्रियों को कवर करता है, जो भोजन पर लेबल या स्याही की पैकेजिंग सहित स्याही के संपर्क में आते हैं। |
| 9. | **धारा 3(1)(त)**<br>''खाद्य प्रयोगशाला'' से केंद्रीय | धारा 3 (1) (पी)<br>अधिनियम की धारा 3 में, उप खंड (1) (पी) में, शब्दों के बाद किसी भी | खाद्य प्रयोगशालाएं आवश्यक रूप से स्थापित या केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नहीं की जाती हैं; और इसलिए, उनमें से कई स्वतंत्र संस्थाएं हैं। हालांकि सभी प्रयोगशालाओं |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है; | खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान के 'केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्थापित शब्द' और 'छोड़ दिया जाएगा। | को मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन। |
| 10 | **धारा 3(1)(द)**<br>''खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा'' से विनिर्माण इकाइयों द्वारा यह अवधारित करने के लिए कि क्या | धारा - 3 (1) (द)<br>अधिनियम की धारा 3 में, उप खंड (1) (आर) में, शब्द 'निर्माण इकाइयां' शब्द 'खाद्य व्यवसाय' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। | यह किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा ऑडिट को सक्षम करना है और केवल विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य व्यवसायों तक सीमित नहीं है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ऐसे उपाय और संबंधित परिणाम खाद्य सुरक्षा और उस निमित्त किए गए दावों के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की क्रमबद्ध और कृत्यकारी रूप से स्वतंत्र जाँच अभिप्रेत है; | | |
| 11 | **धारा 3(1)(फफ)**<br><br>**नई परिभाषा** | धारा 3 (1) (फफ)<br>अधिनियम की धारा 3 में, उप खंड (1) (v) के बाद निम्नलिखित अनुभाग को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:<br>'3 (1) (फफ)" निर्यात "का अर्थ है भारत से भूमि, समुद्र या वायु द्वारा भोजन का कोई भी लेख भेजना। ' | वर्तमान में, निर्यात गतिविधियाँ निहित हैं। यह संशोधन, साथ ही प्रस्तावना में प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के दायरे में भोजन के निर्यात से संबंधित सभी गतिविधियों को लाएगा। |

1920658/2020/FB

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **धारा 3(1)(म)**<br>''संघटक'' से कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत खाद्य के विनिर्माण या निर्मिति से प्रयुक्त कोई खाद्ययोज्यक भी है और जो अंतिम उत्पाद में संभवत: उपांतरित रूप में, विद्यमान हैं; | धारा 3 (1) (म)<br>अधिनियम की धारा 3 में, उप खंड (1) (म) में, अंतिम उत्पाद में in... शब्दों के बाद, शब्द या तो समान या 'सम्मिलित किए जाएंगे। | खाद्य उत्पाद सामग्री का एक संयोजन है और कई सामग्री भोजन की तैयारी / प्रसंस्करण के दौरान संशोधित हो जाती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत ऐसी सामग्रियों को भी शामिल किया जाएगा। |
| 13 | **धारा 3(1)(यघ)**<br>''विनिर्माता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विक्रय के लिए, किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के कारोबार में लगा है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो विक्रय के लिए ऐसे खाद्य को, किसी | धारा 3 (1) (यघ)<br>"ऐसे उद्देश्यों" शब्दों के बाद, "ब्रांड के मालिक सहित" शब्द जोड़े जाएंगे। | ब्रांड के मालिक को निर्माता की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब एक 'निर्माता' ब्रांड के मालिक से अलग हो सकता है '। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त करता है और पैक करता है तथा उस पर लेबल लगाता है या ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल लेबल लगाता है; | | |
| 14 | **धारा 3(1)(यच)**<br><br>''मिथ्या छाप वाला खाद्य'' से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है - | धारा 3 (1) (यच)<br>शब्द "स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं" शब्द "भोजन का एक लेख" के बाद जोड़ा जाना है। | यह स्पष्ट करने के लिए कि गलत भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है |
| 15 | **धारा 3(1)(यटक)**<br><br>**जोड़ी जानी है।** | "प्रसंस्करण सहायता" का अर्थ है किसी भी पदार्थ या सामग्री, जिसमें तंत्र या बर्तन शामिल नहीं हैं, और स्वयं द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में सेवन नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग उपचार या प्रसंस्करण के दौरान एक निश्चित तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कच्चे माल, | पहले इसे धारा 19 के तहत स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया था; अब परिभाषा धारा 3 के तहत लाया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | खाद्य पदार्थों या इसकी सामग्री के प्रसंस्करण में किया जाता है और अंतिम उत्पाद में अवशेषों या डेरिवेटिव की गैर-इरादतन लेकिन अपरिहार्य उपस्थिति हो सकती है। | |
| 16 | **धारा 3(1)(यभ)**<br>''अवमानक'' कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विहित मानकों को पूरा नहीं करता है किंतु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है; | धारा 3 (1) (यभ)<br>शब्द "खाद्य असुरक्षित का लेख" के बाद, शब्द "और जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक" जोड़ा जा सकता है। | यह स्पष्ट करने के लिए कि उप-मानक भोजन जो असुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है। |
| **17** | **धारा 5(1)**<br>खाद्य प्राधिकरण, अध्यक्ष और | धारा 5 (1)<br>धारा 5 (1) और उप खंड (क) के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए: | सदस्य के रूप में सीईओ को शामिल करने से सदस्यों की संख्या बदल जाएगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | निम्नलिखित बाईस सदस्यों से, जिनमें से एक-तिहाई स्त्रियाँ होंगी, मिलकर बनेगा, अर्थात्:- | (मैं)। क्लॉज (1) में 'बाईस' शब्द की जगह 'शब्द तेईस' को लिया जाएगा। (iii) शब्द और प्रतीक '(vi) विधायी मामले 'शब्द' (vi) महिला और बाल विकास' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। | इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय को शामिल करना प्रस्तावित है। यह विधायी मामलों की जगह लेता है। |
| 18 | **धारा 5(1)**<br><br>नई उप-धारा जोड़ी जानी है। | अधिनियम की धारा 5 में, उप खंड (1) (छ) के बाद, उप खंड निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: - "5 (1) (ज)। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। " | अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत प्रावधान के अनुरूप बनाने के लिए। इसके अलावा, सीईओ प्राधिकरण का हिस्सा होगा जो वर्तमान में ऐसा नहीं है। |
| 19 | **धारा 5(4)**<br><br>खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और | धारा 5 (4) को निम्नलिखित के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा: चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र | खाद्य प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पदेन् सदस्यों से भिन्न सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएँगे। | सरकार द्वारा खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है।<br>अंशकालिक सदस्य क्लॉस (1), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी), और पदेन सदस्यों के लिए संदर्भित होते हैं, जिन्हें केंद्रीय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। खाद्य प्राधिकरण के प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के साथ सरकार। | |
| 20 | **धारा 5(1)(ङ)**<br>राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोनों से प्रत्येक क्रमानुसार एक चक्रानुक्रम | धारा 5 (1) (ई) में जोड़े जाने के लिए प्रोविज़ो के बाद:<br>बशर्ते कि केंद्र सरकार पहली अनुसूची के तहत ज़ोन में अधिसूचना द्वारा बदलाव कर सकती है। | आवश्यकता को देखते हुए यह नया संशोधन है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पाँच सदस्य। | | |
| 21 | **धारा 6(1)**<br>**''केंद्रीय सरकार खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन् सदस्यों से भिन्न सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-** | धारा 6 (1) में,<br>शब्द "और अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य जो खाद्य प्राधिकरण के सदस्य हैं," शब्द "चेयरपर्सन के" डिलीट होने के बाद। | सेक्शन 5 के सब सेक्शन (1) (ई) के तहत नियुक्त राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी 'पदेन सदस्यों' की तर्ज पर हैं क्योंकि ये प्रमुख सचिव / सचिव (स्वास्थ्य) / आयुक्त के पद धारण किए हुए हैं राज्यों में खाद्य सुरक्षा। |
| 22 | **धारा 6(2) (3) (4) (5) (6)**<br>धारा (2) केंद्रीय सरकार, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण कोई रिक्ति होने की | धारा 6 (2) (3) (4) (5) और (6) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:<br>(2) केंद्र सरकार मृत्यु के कारण किसी भी रिक्ति की घटना की तारीख से दो महीने के भीतर, मृत्यु, त्यागपत्र, | ये उपर्युक्त 6 (1) में परिवर्तन के परिणाम हैं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि के पूरा होने के तीन मास पूर्व रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निर्देश करेगी।<br><br>धारा (3) चयन समिति, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन उस तारीख से, जिसको उसे निर्देश किया गया है, दो मास के भीतर पूरा करेगी।<br><br>धारा (4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई प्रत्येग रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी। | या खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को हटाने और सेवानिवृत्ति या कार्यालय के कार्यकाल के पूरा होने से तीन महीने पहले करेगी। उस प्राधिकरण के अध्यक्ष, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति का संदर्भ लें।<br><br>अनुभाग (3): चयन समिति उस तारीख से दो महीने के भीतर खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के चयन को अंतिम रूप देगी, जिस दिन इसका संदर्भ दिया गया है।<br><br>अनुभाग (4): चयन समिति द्वारा निर्दिष्ट चेयरपर्सन की रिक्ति के लिए दो नामों का एक पैनल सुझाएगा।<br><br>धारा (5): खाद्य प्राधिकरण के | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा (5) चयन समिति, खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे उसके सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।<br><br>धारा (6) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। | अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, चयन समिति खुद को संतुष्ट करेगी कि ऐसे व्यक्ति को कोई वित्तीय या अन्य ब्याज नहीं है, जो कि अध्यक्ष के रूप में पूर्वाग्रह से उसके कार्यों को प्रभावित करने की संभावना है।<br>अनुभाग (6) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष की कोई भी नियुक्ति चयन समिति में किसी भी रिक्त स्थान के कारण से अमान्य नहीं होगी। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | **धारा 8क**<br><br>नई धारा जोड़ी जानी है। | धारा 8 के बाद, नई धारा 8कडालें।<br>“अध्यक्ष के कार्य<br>खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करेंगे:<br>(i) उसके पास खाद्य प्राधिकरण के कार्य के संचालन में सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होंगी।<br>(ii) खाद्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करना।<br>(iii) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत उसे सौंपी गई सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों का उपयोग करने के लिए।<br>(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य प्राधिकरण अधिनियम के तहत | अधिनियम विशेष रूप से अध्यक्षों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में उल्लेख नहीं करता है, जिन्हें खाद्य प्राधिकरण के लिए पूर्णकालिक नियुक्त किया जाता है।<br>यह महसूस किया जाता है कि अध्यक्ष के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने के लिए न केवल अधिनियम / नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में स्पष्टता आएगी बल्कि अध्यक्ष और सीईओ के कामकाज संबंधों में भी स्पष्टता आएगी।<br><br>अब इन्हें शामिल किया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जैन समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिनियम में अध्यक्ष के लिए ऐसी शक्तियों को इंगित करने का भी सुझाव दिया था। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उसे दिए गए जनादेश के अनुसार कार्य करता है। | |
| 24 | **धारा 16(1)**<br><br>16. खाद्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह खाद्य के विनिर्माण,प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करे और उसकी मानीटरी करे जिससे कि सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य सुनिश्चित किया जा सके। | धारा 16 (1) के रूप में संशोधित किया जाना है<br><br>(1) खाद्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए भोजन के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री, निर्यात और आयात को विनियमित और निगरानी करे। | एफ.एस.एस.ए.आई के डोमेन के तहत भी 'निर्यात' का स्पष्ट उल्लेख करना वर्तमान में, निर्यात गतिविधियाँ निहित हैं। यह संशोधन, साथ ही प्रस्तावना में प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के दायरे में भोजन से संबंधित सभी गतिविधियों को लाएगा। |
| 25. | **धारा 16(2) में संशोधन किया जाना है।**<br><br>(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर | धारा 16 (2): शब्द के बाद 'फूड अथॉरिटी', 'आवश्यक होने पर' शब्द जोड़ा जाएगा। | खाद्य प्राधिकरण किसी भी मामले के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि आवश्यक नहीं माना जाता है।<br>हालांकि शब्द " भी नियमों को अधिसूचित करने या न करने |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खाद्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी- | | के लिए प्राधिकरण के एकमात्र विवेक पर होना चाहिए; हालाँकि, न्यायालयों ने आम तौर पर अधिनियमों के संदर्भ में 'जैसा हो'के रूप में हो' शब्द की व्याख्या की है, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा से संबंधित। इसलिए, यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा का प्रावधान यदि जोड़ा गया है तो संभवत: न्यायालयों द्वारा अलग व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। |
| 26. | **धारा 17(5)**<br>मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेगा किंतु मत देने के किसी अधिकार के बिना। | धारा 17 (5) हटाई जाए। | धारा 5 (1) के प्रस्तावित संशोधन के मद्देनजर प्रावधान को निरर्थक प्रदान किया गया है। |
| 27. | **धारा 18(2)(घ)**<br>यह सुनिश्चित करना कि विनियमों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन | शब्द 18 के बाद धारा 18 (2) (घ) में 'शब्द' और 'केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना विनियम जारी | एफएसएसएआई को समय-समय पर और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के लिए उनकी प्रयोज्यता के आधार पर दिशा-निर्देश जारी करने होते हैं। केंद्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | और पुनरीक्षण के दौरान प्रत्यक्षत: या पंचायतों के सभी स्तरों सहित प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से खुला और पारदर्शी लोक परामर्श है, सिवाय वहाँ के जहाँ उसकी यह राय है कि खाद्य सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य के संबंध में विनियम को बनाने या उनमें संशोधन करने की अत्यावश्यकता है और ऐसे मामले में ऐसे परामर्श से छूट दी जा सकेगी: | किए जा सकते हैं' के साथ छोड़े जा सकते हैं। | सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता कभी-कभी बहुत लंबी हो जाती है और तत्काल प्रकृति के निर्देश तुरंत जारी न किए जाने पर अपना महत्व खो देते हैं। इसलिए, प्रस्तावित प्रावधान। |
| 28 | **धारा 18(3)**<br><br>**(3)** इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि | "और आपूर्ति की गई" शब्दों के बाद धारा 18 के उप-भाग (3) में, "फ़ीड को छोड़कर" शब्द डाले जाएंगे। | यह खेती करने वाले जानवरों को कृषि कार्यों से भोजन को बाहर करने के लिए प्रस्तावित है।<br>09 अगस्त, 2018 को संसद में पेश की गई 110 वीं रिपोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जलकृषि में प्रयुक्त या उत्पादित प्रदायों या किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित उत्पादों को लागू नहीं होंगे। | | स्थायी समिति ने एफएसएस अधिनियम के दायरे में प्राथमिक उत्पादन प्रणाली के कवरेज की सिफारिश की, जिससे स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को दिशानिर्देश / आचरण संहिता बनाने में सक्षम बनाया जा सके। कई हानिकारक घटकों और दूषित पदार्थों के अनियंत्रित उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए। |
| 29. | धारा 19 | धारा 19 के तहत, हटाए जाने का स्पष्टीकरण। | अब इसे धारा 3 में परिभाषित 'प्रसंस्करण सहायता' में परिभाषित करने का प्रस्ताव है। |
| 30. | **धारा 22(4)**<br>''सापंत्तिक और आदर्श खाद्य'' से ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है, जिसके लिए मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं किंतु असुरक्षित नहीं है: | धारा 22 (4)<br>अधिनियम की धारा 22 में, उप खंड (4) में, निम्नलिखित मालिकाना भोजन की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -<br>I) "मालिकाना भोजन" का अर्थ भोजन का एक लेख है जिसके लिए मानकों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है लेकिन | मालिकाना खाद्य 'और नूतन भोजन की परिभाषा को अलग अलग परिभाषित किया जाना है क्योंकि खाद्य पदार्थों की ये श्रेणियां तकनीकी रूप से भिन्न हैं। मालिकाना भोजन 'की मौजूदा परिभाषा को निर्दिष्ट संशोधन के साथ रखने का प्रस्ताव है, ताकि यह विनियम एफएसएस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, २०११ के विनियमन २.१२ के तहत निर्धारित मालिकाना भोजन के स्पष्टीकरण के साथ संरेखित हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | परंतु ऐसे खाद्य में ऐसे खाद्य और संघटक अंतर्विष्ट नहीं हों, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन प्रतिषिद्ध हैं। | असुरक्षित नहीं है:<br><br>बशर्ते कि इस तरह के भोजन में ऐसी सामग्री और एडिटिव्स हों, जिनकी अनुमति इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत है।<br><br>(ii) "उपन्यास भोजन" का अर्थ है एक खाद्य या खाद्य सामग्री [आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर खाद्य पदार्थों के अलावा] जो कि नवप्रवर्तनशील तकनीकों और / या उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई है जो पहले उपयोग नहीं की गई है, और इसमें उन खाद्य या खाद्य सामग्री शामिल हैं, जो देश में मानव उपभोग का इतिहास नहीं है। | भोजन की इन श्रेणियों को उत्पाद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।<br><br>जैसा कि नॉवेल भोजन के लिए एक अलग परिभाषा के ऊपर बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी ईयू और यूएसडीए की परिभाषा के साथ संरेखण में प्रस्तावित किया गया है।<br><br>इसके अलावा यह परिभाषा "न्यूट्रास्युटिकल्स नियमों" में पहले से अधिसूचित उपन्यास भोजन के स्पष्टीकरण के साथ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | संरेखित भी है। |
| 31. | **धारा 23**<br><br>**परंतुक जोड़ा जाना है।** | धारा 23<br>धारा 23 (1) में एक दूसरा प्रोवीसी के रूप में डाला जाएगा:<br>बशर्ते कि खाद्य प्राधिकरण भोजन के एक लेख के लिए खाद्य संपर्क सामग्री की आवश्यकता लिख सकता है। | यह अनंतिम रूप खाद्य संपर्क सामग्री 'के लिए विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है जिसमें पैकेजिंग पर पैकेजिंग सामग्री, मुद्रण स्याही शामिल होगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा 28 (1)<br>यदि कोई खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर मानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि एक खाद्य पदार्थ जिसे उसने संसाधित किया है, निर्मित या वितरित किया गया है, तो वह इस अधिनियम, या नियमों या विनियमों के अनुपालन में नहीं है, तो, उसे भोजन को वापस लेने के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बाजार से और उपभोक्ता इसकी वापसी के कारणों का संकेत देते हैं और इसके लिए सक्षम अधिकारियों को सूचित करते हैं। | धारा 28 (1)<br>अधिनियम की धारा 28 में, उप खंड (1) में, निम्नलिखित डाला जाएगा: -<br><br>(I) शब्द 'वापस' को रिकाल' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।<br>(II) शब्द इसकी वापसी 'और सक्षम अधिकारियों को सूचित करें को इसकी रिकॉल' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। | इस खंड में प्रयुक्त शब्दावली का सामंजस्य बनाने के लिए 'वापस लेना' शब्द को रीकॉल 'से बदलना प्रस्तावित है। इसके अलावा, शब्द 'रीकॉल' का उपयोग करने के लिए उपयुक्त शब्द है जैसा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है।<br><br>'वापस' शब्द को 'याद' शब्द से बदल दिया गया है। |
| 33 | धारा 31 (1)<br>कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेंस के अलावा किसी भी खाद्य व्यवसाय को शुरू नहीं करेगा। | धारा 31 (1)<br>अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) में, शब्द के बाद 'लाइसेंस' शब्द 'नियमों के तहत निर्दिष्ट' के रूप में | सक्षम करने का प्रावधान किसी भी श्रेणी या लाइसेंस की उप श्रेणी का ध्यान रखेगा जो नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। |

**1920658/2020/FR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | डाला जाएगा। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा 34<br>यदि नामित अधिकारी संतुष्ट है कि स्वास्थ्य जोखिम स्थिति किसी भी खाद्य व्यवसाय के संबंध में मौजूद है, तो वह खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर (इस अधिनियम में एक 'आपातकालीन निषेध नोटिस' के रूप में संदर्भित नोटिस) के बाद आयुक्त पर लागू हो सकता है। शराबबंदी लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा यदि खाद्य सुरक्षा आयुक्त इस तरह के एक अधिकारी के आवेदन पर संतुष्ट हैं, कि स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति किसी भी खाद्य व्यवसाय के संबंध में मौजूद है, तो वह एक आदेश द्वारा, निषेध लागू कर सकता है।<br>पदनामित अधिकारी आपातकालीन | धारा 34<br>अधिनियम की धारा 34 में, उप खंड (1), (2), (3), (4) (5) और (6) शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 'यदि नामित अधिकारी संतुष्ट है कि स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली या खाद्य व्यवसाय द्वारा अभ्यस्त डिफ़ॉल्ट के कारण, वह प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है क्योंकि खाद्य प्राधिकरण नियमों द्वारा निर्दिष्ट हो सकता है, खाद्य व्यापार के प्रतिबंध या बंद करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सिफारिश कर सकता है। । ' | यह प्रक्रिया अधिनियम का हिस्सा होने के बजाय नियमों में निर्धारित की जा सकती है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | निषेध आदेश के लिए आवेदन नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन की तारीख से कम से कम एक दिन पहले, उसने आदेश के लिए आवेदन करने के लिए अपने इरादे के व्यवसाय के खाद्य व्यवसाय संचालक को नोटिस दिया हो।<br>आपातकालीन निषेध आदेश बनाने के बाद जैसे ही व्यवहारिक हो, नामित अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आवश्यकता होगी-<br>व्यापार के खाद्य व्यापार ऑपरेटर पर आदेश की एक प्रति परोसें; या<br>उस व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर आदेश की एक प्रति चिपकाएं;<br>और कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | इस तरह के आदेश के रूप में उल्लंघन करता है, वह अपराध का दोषी होगा और उस अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो दो साल तक और जुर्माना के साथ दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है।<br>एक आपातकालीन निषेध आदेश प्रभाव के लिए एक प्रमाण पत्र के पदनामित अधिकारी द्वारा इस मुद्दे पर प्रभाव डालना बंद कर देगा<br><br>वह इस बात से संतुष्ट हैं कि खाद्य व्यापार संचालक ने इस तरह के आदेश को उठाने के औचित्य के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।<br>नामित अधिकारी इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर द्वारा एक आवेदन के सात | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दिनों के भीतर उप-धारा (5) के तहत एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसके संतुष्ट नहीं होने पर, उक्त अधिकारी एक अवधि के भीतर खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर को नोटिस देगा दस दिनों के लिए इस तरह के निर्णय के कारणों का संकेत है। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा 35<br>अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थानीय क्षेत्र में खाद्य प्राधिकरण को अपने पेशे पर ले जाने वाले पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे अधिकारी को उनके नोटिस में आने वाले खाद्य विषाक्तता की सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना। | धारा 35<br>धारा 35 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:<br>35. खाद्य सुरक्षा की घटनाओं से निपटना<br>(1) खाद्य प्राधिकरण, एक आदेश द्वारा, घटना से संबंधित रिपोर्टिंग, जांच, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई सहित खाद्य सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए तंत्र लिख सकता है।<br>स्पष्टीकरण:<br>खाद्य सुरक्षा घटना "का अर्थ है कि कोई भी घटना जो खाद्य जनित बीमारियों, खाद्य संदूषण या भोजन से उत्पन्न अन्य घटनाओं के कारण हो सकती है और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।" | खाद्य सुरक्षा की घटनाओं का जवाब देने के लिए व्यापक तंत्र है।<br>इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण द्वारा आरएमपी को अधिसूचित करने का पूर्व प्रावधान व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. | धारा 38 (1) (सी)<br>सैंपल लेने के बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऐसे आर्टिकल को सुरक्षित रखने के लिए रखें:<br>और दोनों ही मामलों में विश्लेषण के लिए स्थानीय क्षेत्र के लिए एक खाद्य विश्लेषक को भेजते हैं जिसके भीतर ऐसा नमूना लिया गया है।<br>बशर्ते कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य व्यवसाय संचालक की सुरक्षा में भोजन का ऐसा लेख रखता है, उसे खाद्य व्यवसाय संचालक को एक या अधिक ज़मानत के साथ ऐसे लेख के मूल्य के बराबर धनराशि के बॉन्ड को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फिट बैठता है और खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर | धारा 38 (1) (सी)<br>अधिनियम की धारा 38 में, उप खंड में<br>(1) (ग) शब्द 'खाद्य व्यवसाय संचालक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के बाद' शब्द 'इसे खाद्य व्यवसाय संचालक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखें या प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारियों की अभिरक्षा में रखा जाएगा। । | शब्दों को 'या प्राधिकरण की हिरासत में रखने के लिए' एफएसओ को कार्यालय की सुरक्षित हिरासत में रखे जाने के लिए माल ले जाने में सक्षम बनाता है। एक समान प्रावधान पीएफए, 1954 की धारा 10 (4) में मौजूद था। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तदनुसार बांड निष्पादित करेगा। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा 38 (1) (घ)<br>नया सब सेक्शन जोड़ा जाना है। | धारा 38 (1) (घ)<br>अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) (सी) के बाद, उपधारा निम्नलिखित सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्: -<br>'(घ) खाद्य सामग्री से जुड़े किसी भी वाहन, उपकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग या विज्ञापन सामग्री को जब्त करें जो अधिनियम या नियमों और विनियमों के तहत कार्यवाही में सबूत के रूप में आवश्यक हो सकता है और खाद्य व्यवसाय संचालक की सुरक्षित हिरासत में रख सकता है या हो सकता है। प्राधिकरण की हिरासत में रखा गया। ' | अधिनियम की धारा 60 में ऐसी गतिविधियों की सजा का प्रावधान है। इसलिए, अपने आप में होने वाली गतिविधियों को अधिनियम का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है। |
| **38** | धारा 38 (4 एजोड़ा जाएगा।( | धारा 38 (4 ए)<br>अधिनियम की उपधारा (4) के बाद धारा 38 के तहत, निम्नलिखित | धारा 47 (4) को यहां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ताकि जब्त किए गए लेखों की प्रक्रिया एक ही स्थान पर हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अनुभाग डाला जाएगा, अर्थात्: -<br>'38 (4A) जब तक नष्ट नहीं किया जाता है, तब तक भोजन या मिलावट का एक लेख, नामित अधिकारी के समक्ष जल्द से जल्द उत्पादित किया जाएगा और किसी भी मामले में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिन बाद नहीं होगा:<br>बशर्ते कि यदि इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा नामित अधिकारी से कोई आवेदन किया जाता है, जिससे भोजन का कोई भी लेख जब्त किया गया है, तो नामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखित रूप में इस तरह के समय से पहले इस तरह के लेख का उत्पादन करने का आदेश देगा। आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ' | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | धारा 38 (9) (ए)<br>डाला जाना | धारा 38 (9) (क)<br>अधिनियम की धारा 38 (9) के बाद, निम्नलिखित खंड अर्थात् डाला जाएगा:<br>'(ए) जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतुष्ट है कि उपधारा (1) के तहत जब्त किए गए भोजन के किसी भी लेख का उस अपराध से कोई संबंध नहीं है जो भोजन को असुरक्षित बनाते हैं, ऐसा लेख तुरंत जारी किया जाएगा। ' | उन खाद्य उत्पादों को जारी करने के लिए एक सक्षम प्रावधान जो विनियमों का अनुपालन करते हैं। |
| 40. | धारा 40 (1)<br>इस अधिनियम में निहित कुछ भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अलावा खाद्य विश्लेषक के किसी भी लेख के खरीदार को रोकने के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा, जिसमें इस तरह के शुल्क का भुगतान करने | धारा 40 (1)<br>धारा 41 में पहला प्रावधान शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:<br>'बशर्ते कि ऐसे खरीदार को खरीद के समय खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर से एक रसीद मिलेगी। ' | मौजूदा प्रावधानों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति एफबीओ को सूचित करता है तो एफबीओ अक्सर उत्पाद बेचने से इनकार करता है। एक रसीद खरीद स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी और एफबीओ और उपभोक्ता दोनों के हितों को संतुलित करेगी।<br>एफबीओ के हितों की रक्षा और देयता का प्रमाण स्थापित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पर खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण किया गया हो और खाद्य विश्लेषक से इस तरह के विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि:<br><br>बशर्ते कि ऐसे क्रेता खाद्य व्यापार संचालक को इस तरह के लेख का विश्लेषण करने के लिए उसके इरादे की खरीद के समय सूचित करेंगे: | | करने के लिए खरीद का प्रमाण आवश्यक है। |
| 41 | धारा 40 के तहत<br>क्रेता के पास भोजन का विश्लेषण हो सकता है। | धारा 40 के तहत, उप-धारा 2 के बाद, उप-धारा (3) निम्नलिखित डाली जाएगी;<br>(3) इवेंट फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन या किसी भी व्यक्ति को डेटा जेनरेशन के उद्देश्य से फूड टेस्टिंग सौंपने या फूड सेफ्टी | आम जनता के लिए प्रामाणिक डेटा और जानकारी सुनिश्चित करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पर आम जनता के लिए जानकारी तैयार करने की जरूरत होती है। खाद्य प्राधिकरण। आम जनता के लिए जारी करने से पहले एकत्र की गई जानकारी को खाद्य प्राधिकरण के साथ साझा किया जाएगा। | |
| 42. | धारा 41 | धारा 41<br><br>अधिनियम की धारा 41 को छोड़ा जाएगा। | हटा दिया गया, जैसा कि धारा 38 में मिला दिया गया है। |
| 43. | धारा 42 (2)<br>खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नमूना प्राप्त करने के बाद खाद्य विश्लेषक नमूना का विश्लेषण करेगा और विश्लेषण रिपोर्ट भेजने का नमूना और विधि का विश्लेषण चौदह दिनों के भीतर नामित अधिकारी को एक | धारा 28 (1)<br>अधिनियम की धारा 28 में, उप खंड (1) में, निम्नलिखित डाला जाएगा: -<br><br>(I) शब्द 'वापस' को रिकाल' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।<br>(II) शब्द इसकी वापसी 'और सक्षम | चौदह दिनों की समय सीमा को चौदह कार्यदिवसों द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है क्योंकि चौदह दिनों के अंतराल पर कभी-कभी कार्यालयों / प्रयोगशालाओं को बंद करने के कारण पर्याप्त नहीं हो सकता है।<br><br>यह संशोधन व्यावहारिक कठिनाइयों पर आधारित है और जैन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | प्रतिलिपि के साथ खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेज देगा। | अधिकारियों को सूचित करें को इसकी रिकॉल' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। | समिति द्वारा अनुशंसित भी है। |
| 44 | धारा 42 (3)<br>खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की जांच के बाद पदनामित अधिकारी यह तय करेगा कि क्या गर्भनिरोधक कारावास के साथ दंडनीय है या केवल और दंड के साथ दंडनीय उल्लंघन के मामले में, वह चौदह दिनों के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अपनी सिफारिशें भेजेगा। अभियोजन स्वीकृति। | धारा 42 (3)<br>अधिनियम की धारा 42 में, उप खंड (3) में, चौदह कार्यदिवसों के भीतर Act शब्दों में, खंड 46 (4) की आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद शब्द। डाले जाएंगे।<br>खंड 42 (3) के बाद धारा 42 में निम्नलिखित डाला जाएगा:<br>"यदि नामित अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम, नियमों और विनियमों के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं है, तो वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तीन कार्य दिवसों के भीतर जब्त किए गए भोजन के लेख जारी करने का निर्देश | वर्तमान में, अभियोजन स्वीकृति के लिए सिफारिशें भेजने के लिए धारा 46 (4) का अनुपालन निहित है; हालाँकि, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। खाद्य व्यापार करता 46 (4) के गैर अनुपालन या विलंबित कार्रवाई का मुद्दा उठता है। अधिनियम के प्रावधानों के सामंजस्य के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति के लिए सिफारिशें भेजने के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रक्रिया सुचारु बनाता है । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | देगा।" डाला जाएगा। | |
| 45. | धारा 42 (3) | धारा 42 (3)<br>निम्नलिखित प्रोविज़ो को जोड़ा जाएगा<br>"बशर्ते कि धारा 52, 53,55,56,57,60,61,62 और 63 के तहत अपराधों के मामले में, जहां नमूनों के प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, पदनामित अधिकारी / खाद्य सुरक्षा आयुक्त पर कार्यवाही या अभियोजन शुरू कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी या अन्यथा द्वारा दायर रिपोर्ट का आधार "। | अधिकांश मामलों में धारा 52, 53,55,56,57,60,61,62 और 63 के तहत, खाद्य विश्लेषक की ओर से और साथ ही अभियोजन शुरू करने के लिए विश्लेषण रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। |
| 46. | धारा 43 (2)<br>खाद्य प्राधिकरण अधिसूचना, एक या | धारा 43 (2)<br>धारा 43 (2) को संशोधित किया | संसाधनों की सीमाओं के अधीन और अन्यथा, खाद्य प्राधिकरण रेफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकता है |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | एक से अधिक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं द्वारा इस अधिनियम या रेफरल द्वारा बनाए गए रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए स्थापित या मान्यता देगा। | जाना है:<br>खाद्य प्राधिकरण अधिसूचना, एक या एक से अधिक खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण या कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं या रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं के रूप में किसी अन्य मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त, एक या अधिक खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं द्वारा स्थापित या पहचान कर सकता है। | और ऐसी प्रयोगशालाओं के कार्य नियम और विनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। खाद्य प्राधिकरण रेफरल प्रयोगशाला के रूप में किसी अन्य प्रयोगशाला को अधिकृत कर सकता है। यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "प्राधिकरण" खाद्य प्राधिकरण पर खुद के द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए बाध्यता प्रकट करता है, जो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायालयों को यह समझाने में भी कठिनाई होती है कि खाद्य प्राधिकरण ऐसी प्रयोगशालाओं के गठन के लिए बाध्य नहीं है। एफएसएसएआई को 2012 के डब्ल्यूपी7677 (पीआईएल) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर खंडपीठ) में समभिया नागरीक उपभक्त मार्गदर्शक मंच बनाम भारत संघके मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। |
| 47. | धारा 43 (2 बी)<br>नया उपधारा डाला जाएगा | धारा 43 की उपधारा (2) के बाद, निम्न के रूप में नया उपधारा (2B) डालें: -<br>“43 (2 बी)। खाद्य प्राधिकरण अधिसूचना, एक या एक से अधिक | वर्तमान में, अधिनियम में संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संदर्भ प्रयोगशालाओं को विधि विकास, विधि सत्यापन, प्रवीणता परीक्षण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं द्वारा इस अधिनियम या उसके द्वारा बनाए गए किसी भी नियम और विनियम द्वारा संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए पहचान करेगा। "<br>स्पष्टीकरण:<br>'संदर्भ प्रयोगशाला' का अर्थ है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला, जो कि खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मान्यता के साथ विधि विकास, विधि सत्यापन, प्रवीणता परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए धारा 43 (2 बी) के तहत है। " | |
| 48. | धारा 46 (3)<br>खाद्य विश्लेषक विश्लेषण के लिए किसी भी नमूने की प्राप्ति की | धारा 46 (3)<br>'चौदह' शब्द के बाद, अधिनियम की धारा ४६ के अनंतिम में, 'काम' शब्द | चौदह दिनों की समय सीमा को चौदह दिनों में नमूना के परीक्षण को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तारीख से चौदह दिनों के भीतर करेगा, भेजें-<br>(i) जहां इस तरह के नमूने को नामित अधिकारी को धारा 38 या धारा 47 के तहत प्राप्त किया जाता है, नमूने की विधि और विश्लेषण को इंगित करने वाली रिपोर्ट की चार प्रतियां; तथा<br>(ii) जहां इस तरह का नमूना धारा ४० के तहत प्राप्त होता है, रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को नमूना और विश्लेषण की विधि का संकेत देती है, जिसने नामित अधिकारी को एक प्रति के साथ भोजन का ऐसा लेख खरीदा था:<br>बशर्ते कि इसकी प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर नमूने का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, खाद्य | डाला जाएगा। | चौदह कार्यदिवसों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विश्लेषक नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताएंगे और विश्लेषण के लिए समय निर्दिष्ट करने की सूचना देंगे। | | |
| 49. | धारा 46 (4)<br>खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील नामित अधिकारी के समक्ष होगी, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है, तो राय के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को मामले को देखें। | धारा 46 (4)<br>अधिनियम की धारा 46 में, उप खंड (4), शब्द 'राय' के बाद, 'चौदह कार्य दिवसों के भीतर' शब्द डाले जाएंगे। | नामित अधिकारी को मामले को रेफरल प्रयोगशाला में भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा रही है। |
| 50. | धारा 47 (1) (सी) (iii):<br>मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए शेष भाग भेजें, यदि ऐसा है तो खाद्य अधिकारी से | धारा 47 (1) (सी) (iii)<br>अधिनियम की धारा 47, उप खंड (1) (c) (iii) में, शब्द 'नामित अधिकारी' के बाद, चौदह कार्य दिवसों के भीतर | एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में एक नमूना का उल्लेख करने के लिए एक एफएसओ की समय सीमा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अनुरोध किया जाता है, नामित अधिकारी को सूचित करें: | 'शब्द डाले जाएंगे। | |
| 51. | धारा 47 (4): | धारा 47 (4)<br>अधिनियम की धारा 44 में, उप खंड (4) छोड़ा जाएगा। | हटाए गए। धारा 38 (4 ए) के रूप में डाला गया। |
| 52. | धारा 47 (5)<br>डाला जाने वाला स्पष्टीकरण | धारा 47 (5)<br>धारा 47 के खंड (5) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाना है<br>"प्राधिकृत अधिकारी" का अर्थ है कि कार्य करने के लिए प्रविष्टि के विभिन्न बंदरगाहों के लिए नियुक्त एक अधिकारी खाद्य आयात के लेखों के संबंध में नियमों के तहत निर्दिष्ट कर सकता है। | वर्तमान में, "प्राधिकृत अधिकारी" अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसका उल्लेख केवल एफएसएस अधिनियम की धारा 47 (5) और नियम 1, 2011 के नियम 1.2.1 (5) में है। इसे परिभाषित करना उचित प्रतीत होता है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53. | धारा ४ ९<br>उप-धारा (ई) के बाद जोड़ा जाने वाला एक अनंतिम | धारा ४ ९<br>अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा के बाद (ई) के बाद अनंतिम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: - 'बशर्ते कि पैक किए गए भोजन के मामले में, वितरक या खुदरा विक्रेता द्वारा प्राथमिक वितरक और आपराधिक दायित्व के साथ उचित रूप से संग्रहित और संग्रहीत नहीं किया जाता है, वितरित और बेचा जाता है। ' | वितरक / रिटेलर जो एक विशेषज्ञ नहीं है और अक्सर एक छोटे एफबीओको एक विशाल एफबीओकी तुलना में अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, जिसके पास अनुपालन का विवरण है। इसके अलावा वितरक या खुदरा विक्रेता की पैकेज्ड फूड आइटम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कोई भूमिका नहीं है, बशर्ते उसने इसमें छेड़छाड़ न की हो। |
| 54. | धारा 59: असुरक्षित भोजन के लिए सजा<br>कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बिक्री या भंडार या बेचने या बेचने या मानव उपभोग के लिए खाद्य | धारा 59: असुरक्षित भोजन को संशोधित करने के लिए सजा:<br>कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बिक्री या भंडार या बेचने या बेचने या मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों | यह धारा 59 (i) में prकारावास 'के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह अपराध की गंभीरता से अधिक प्रतीत होता है। यह नितियोग की सिफारिशों के संदर्भ में भी है। हालाँकि, यह 59 (i), (ii) और (iii) के तहत एक लाख, तीन लाख, और पाँच लाख से तीन लाख, पाँच लाख और सात लाख के तहत जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है, क्रमशः निवारक के रूप |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पदार्थों के किसी भी लेख का आयात करता है, जो असुरक्षित है, दंडनीय होगा-<br>(i) जहां इस तरह की विफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप चोट नहीं लगती है, एक कारावास के साथ जो छह महीने तक और जुर्माना भी हो सकता है, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है;<br><br>(ii) जहां इस तरह की विफलता का उल्लंघन गैर-गंभीर चोट के रूप में होता है, जिसमें एक वर्ष के लिए कारावास होता है और एक साल तक जुर्माना भी हो सकता है, जो तीन लाख रुपये तक बढ़ सकता है;<br>iii) जहां इस तरह की विफलता गर्भनिरोधक चोट के परिणामस्वरूप | के किसी भी लेख का आयात करता है, जो असुरक्षित है, दंडनीय होगा-<br>(i) जहां ऐसी विफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप चोट नहीं लगती है, जो कि तीन लाख रुपये तक बढ़ सकती है;<br><br>(ii) जहां इस तरह की विफलता या उल्लंघन गैर-गंभीर चोट के परिणामस्वरूप होता है, जिसमें एक वर्ष के लिए कारावास होता है और एक साल तक जुर्माना भी हो सकता है, जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है;<br><br>(iii) जहां इस तरह की विफलता के | में कार्य करता है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | होती है, जिसमें अवधि के लिए कारावास होता है, जो छह साल तक और जुर्माना के साथ भी हो सकता है जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है; | कारण गर्भनिरोधक चोट लगती है, जिसमें एक शब्द के लिए कारावास होता है, जो छह साल तक और जुर्माना भी हो सकता है, जो सात लाख रुपये तक हो सकता है; | |
| 55. | धारा 59 ए के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा नया खंड | धारा 59 ए<br>अधिनियम की धारा 59 के बाद, निम्नलिखित अनुभाग डाला जाएगा, अर्थात्: -<br>'59A। "कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भोजन के लिए मिलावट करता है, ताकि यह मानव उपभोग के लिए हानिकारक हो, ताकि उसकी मृत्यु हो सकती है या उसके शरीर पर इस तरह के नुकसान का कारण बन सकता है।" इस बात की परवाह किए | ऐसे मामलों में कड़े / निवारक सजा प्रदान करने के लिए जहां एक मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलाया जाता है, चाहे वह मानव उपभोग के लिए असुरक्षित क्यों न हो, इस तथ्य के बावजूद कि वह वास्तविक मौत का कारण बनता है या गंभीर चोट या नहीं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में भी है।<br><br>उदाहरण: यदि कोई डिटर्जेंट, यूरिया इत्यादि का उपयोग करके दूध या दूध से बने उत्पाद तैयार करता है, तो उसे इस धारा के तहत कवर किया जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | बिना कि यह वास्तविक चोट का कारण है या नहीं, भले ही वह सात साल से कम का न हो, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी जो दस से कम नहीं होगा। लाख रुपये। " | |
| 56 | धारा 61<br>गलत जानकारी के लिए सजा।<br>यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी आवश्यकता या दिशा के संबंध में, कोई भी जानकारी प्रदान करता है या वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसे वह व्यक्ति जानता है कि वह गलत या भ्रामक है, तो उसे ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो तीन महीने तक और जुर्माना के लिए भी हो सकती है। जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है। | धारा 61<br>एक शब्द के लिए may कारावास की अवधि जो तीन महीने तक बढ़ सकती है और 'के साथ' भी हटाई जा सकती है। इसके अलावा, शब्द 'दो लाख रुपये' को 'दस लाख रुपये' शब्द से बदला जा सकता है। | उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति को झूठी या भ्रामक जानकारी / दस्तावेजों के लिए दंडित करता है। जुर्माने के लिए एक पर्याप्त सजा हो सकती है और कारावास को छोड़ा जा सकता है।<br><br>यह 26 फरवरी, 2020 को आयोजित सीओएस की बैठक में रखी गई व्यापारिक भावनाओं को सुधारने और अदालती प्रक्रियाओं को विफल करने के लिए छोटे अपराधों के विघटन के संदर्भ में नीती आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | धारा 62<br>यदि इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को पूरा करने में किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बिना किसी उचित बहाने के, बिना किसी बाधा, बाधा, या प्रयास, बाधा डालने, धमकाने, धमकाने या हमला करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे तीन महीने तक के लिए कारावास की सजा हो सकती है। और जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक हो सकता है। | धारा 62<br>अधिनियम की धारा 62 में, 'जो शब्द तीन महीने तक बढ़ सकते हैं और जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकते हैं' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 'जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है '। | यह उन लोगों के लिए थोड़े अधिक गंभीर दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव है जो अपने कर्तव्यों के पालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बाधित करते हैं। |
| 58 | धारा 63<br>बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर सजा।<br>यदि कोई व्यक्ति या खाद्य | धारा 63<br>शब्द prशब्द के लिए कारावास के साथ दंडनीय है जो छह महीने तक का हो सकता है और इसे हटाया भी | उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने के लिए दंडित करता है। जुर्माने को बढ़ाना अपराध के लिए पर्याप्त सजा हो सकती है और कारावास को छोड़ा जा सकता है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | व्यवसाय संचालक (इस अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस से छूट प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर), स्वयं या उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे लाइसेंस प्राप्त करना, बनाना, बेचना, बेचना या भंडार करना आवश्यक है लाइसेंस के बिना भोजन के किसी भी लेख को वितरित या आयात करता है, एक ऐसे शब्द के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो छह महीने तक और जुर्माना के साथ भी हो सकता है जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है। | जा सकता है। इसके अलावा, शब्द 'पाँच लाख रुपये' को 'शब्द' पच्चीस लाख रुपये 'से बदला जा सकता है। | यह 26 फरवरी, 2020 को आयोजित सीओएस की बैठक में रखी गई व्यापारिक भावनाओं को सुधारने और अदालती प्रक्रियाओं को विफल करने के लिए छोटे अपराधों के विघटन के संदर्भ में नीती आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। |
| 59 | धारा 64<br>बाद के अपराधों के लिए सजा।<br>(1) यदि कोई व्यक्ति, पहले इस | धारा 64<br>उप धारा (1) (ii) को शब्दों के स्थान पर बदल दिया जाएगा which दैनिक | उक्त प्रावधान दूसरे या बाद के अपराध के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करता है। पहले से दोषी ठहराए गए समान या समान अपराधों की भरपाई के लिए, जुर्माना की मात्रा बढ़ाई जा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है, तो बाद में अपराध करता है और उसी अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह इसके लिए उत्तरदायी होगा -<br>(i) दो बार सजा, जो पहली सजा पर लगाई गई हो सकती है, एक ही अपराध के लिए अधिकतम दी जा रही सजा के अधीन;<br>(ii) दैनिक आधार पर एक और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है, जहां अपराध एक जारी है; तथा<br>(iii) उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। | आधार पर एक और जुर्माना जो पांच लाख रुपये तक का हो सकता है, जहां अपराध एक जारी है; तथा'।<br>धारा 64 (1) की उपधारा 3 को हटाया जाना। | सकती है।<br><br>चूंकि जुर्माना दैनिक आधार पर लगाया जा रहा है, इसलिए लाइसेंस रद्द करना आवश्यक नहीं हो सकता है।<br><br>यह 26 फरवरी, 2020 को आयोजित सीओएस की बैठक में रखी गई व्यापारिक भावनाओं को सुधारने और अदालती प्रक्रियाओं को विफल करने के लिए छोटे अपराधों के विघटन के संदर्भ में नीती आयोग की सिफारिशों के अनुसार है।<br><br>(निति अयोग के कारावास के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश कब्रों के अपराधों के संबंध में स्वीकार नहीं की जा रही है) |
| 60. | धारा 65 ए डाला जाना | धारा 65 ए<br>अधिनियम की धारा 65 के बाद, | बिक्री अधिनियम, सिंगापुर के प्रावधान के पैटर्न पर। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | निम्नलिखित अनुभाग सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: - 65क अभियोजन के लिए आकस्मिक रूप से फीस की वसूली और अन्य व्यय - जब किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किसी भी भोजन या खाद्य संपर्क लेख के विश्लेषण के लिए आकस्मिक रूप से सभी शुल्क और अन्य खर्च, जिसके संबंध में दोषी है प्राप्त और अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए किसी भी अन्य उचित खर्च, दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा। | |
| 61. | (ए) एफएसएस अधिनियम की धारा 69 के अनुसार | (() संशोधन प्रस्ताव: धारा 69. चक्रवृद्धि अपराधों की | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (1) "खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आदेश द्वारा, नामित अधिकारी को स्वीकार करने के लिए, जो स्वयं निर्माण करते हैं और खाद्य, खुदरा विक्रेताओं, फेरीवालों, यात्रा करने वाले विक्रेताओं, अस्थायी स्टाल धारकों के किसी भी लेख को बेचते हैं, जिनके खिलाफ एक उचित विश्वास मौजूद है कि उसने इस अधिनियम के खिलाफ अपराध या उल्लंघन किया है, अपराध की संरचना के माध्यम से धन की राशि का भुगतान जो ऐसे व्यक्ति को प्रतिबद्ध होने का संदेह है।<br>(2) ऐसे अधिकारी के धन के भुगतान पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपराध के संबंध में आगे कोई | शक्ति।<br>(१) इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, खाद्य प्राधिकरण के लाइसेंस धारक द्वारा पहली बार किया गया कोई भी अपराध, इस अधिनियम के तहत दंडनीय, कारावास के साथ दंडनीय अपराध नहीं होना, हो सकता है, इससे पहले कि किसी भी कार्यवाही के संस्थान द्वारा जटिल हो। खाद्य सुरक्षा आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से: बशर्ते कि निर्दिष्ट की गई राशि किसी भी मामले में उस जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी, जो कि इतने संगृहीत अपराध के लिए संबंधित धाराओं के तहत लगाया जा सकता है; और उस तारीख से तीन | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कार्यवाही नहीं की जाएगी।<br>(३) उप खंड (१) के तहत स्वीकृत या स्वीकृत की गई धनराशि का योग, एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा और धारा 4 9 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा: बशर्ते कि कोई अपराध, जिसके लिए इस अधिनियम के तहत कारावास की सजा निर्धारित की गई है, को कंपाउंड किया जाएगा "। | साल की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए किसी भी दूसरे या बाद के अपराध को जिस तारीख में पहले कंपाउंड किया गया था उसे पहली बार के लिए प्रतिबद्ध अपराध माना जाएगा।<br>(2) उप खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, जिसके पास कंपाउंडिंग की शक्ति प्रत्यायोजित है, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, एक अपराध को कम करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगा।<br>(3) अपराध की कंपाउंडिंग के लिए प्रत्येक आवेदन इस तरह से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **धारा 76 (1)**<br><br>किसी विशेष न्यायालय के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहत की जाए और ऐसी रकम को, यदि कोई हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन शास्ति, प्रतिकर या ानुकसानके रुप में अधिरोपित किया गया है, जमा करने के पश्चात, उस तारीख से, जिसको आदेश की तामील की गई थी,पैंतालीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:<br><br>परन्तु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हुआ था, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात | **धारा 76 (1)**<br><br>**दूसरा प्रावधान जोड़ा जाना है:**<br><br>**यह भी प्रावधान किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां कोई विशेष न्यायालय नहीं हैं, अपील समुचित क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में की जाएगी।** | ऐसी स्थितियां हैं जहां अधिनियम में दिए अपराधों के लिए न्यायालय उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थितियों में, अपील समुचित क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में की जाएगी। प्रस्तावित प्रावधान केवल स्पष्टीकरण के रुप में है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा।<br><br>दूसरा प्रावधान धारा 76 (1) में जोड़ा जाना है। | | |
| 63. | **धारा 82 के स्थान पर नई धारा रखी जानी है** | **धारा 82 को इस रुप में संधोधित किया जाना है**<br><br>**1) खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निधि की स्थापना करेगा।**<br><br>*(2)* **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निधि में निम्नलिखित राशियां जमा की जाएंगी, अर्थात : -**<br>**क. केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को दिए गए अनुदान**<br>**ख.प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए शुल्क, प्रभार और जुर्माने** | ः |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **की राशियां**<br>**ग. निधियों से किए गए विनियोगों पर प्राप्त ब्याज अथवाअन्य आय;**<br>***घ.* परीक्षण, परमार्श, अनुदान, अन्य स्रोतों से प्राप्त दान आदि के जरिए प्राप्त आय**<br>प्राधिकरण द्वारा निधियों का प्रबंध और उपयोग विनियमों के अंतर्गत निर्धारितप्रयोजनों के लिए किया जाएगा।** | |
| 64. | **अध्याय XI क**<br><br>**धारा 84 क: पशु चारा के लिए प्रावधान जोड़ा जाना है।** | धारा 84 क :<br><br>**<u>पशु चारा के लिए सामान्य प्रावधान</u>**<br><br>(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 के सामान्य प्रावधान, धारा 51, 52, 59 और 65 को छोड़कर, जहां तक इनके खाद्य अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक पर लागू होने का संबंध है, पशु चारा से संबंधित मामलों पर यथोचित परिवर्तनों सहित उस सीमा तक लागू | इस अध्याय/धारा के अंतर्गत प्रावधानों से पशु चारा के विनियम के लिए खाद्य प्राधिकरण समर्थ होगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | होंगे , जिस सीमा तक ये खाद्य की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं,<br><br>(ii) पशु चारा से संबंधित मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार की किसी एजेंसी को अधिसूचित कर सकती है।<br><br>परन्तु, पशु चारा के लिए मानक केवल खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।<br><br>(iii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों,विशेष रुप से पशु चारा के कार्यान्वयन के लिए, नियुक्त कर सकती है।<br><br>(iv) शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, यथा | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उपयुक्त, ऐसे खाद्य सुरक्षाआयुक्तों, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जो विशिष्ट रुप से पशु चारा से संबंधित मामलों पर कार्य करते हों, के लिए निर्धारित की जाएं। | |
| 65. | **धारा 92**<br><br>**(1) खाद्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।** | धारा 92 (1) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाना है:<br><br>परन्तु, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियमों का मसौदा अनुमोदित हो तो अधिसूचना से पहले सुझाव मंगाने पर यदि हितधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो इस प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित न हो | अधिसूचनाप की धारा 92 के शाब्दिक पठन से यह बोध होता है कि मसौदा अधिसूचना और अंतिम अधिसूचना के चरण पर केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अनिवार्य है। चूँकि, दोनों अवसरों पर इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने में समय लगेगा इसलिए यह महसूस किया गया है कि यदि मसौदा के चरण पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है तो उससे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तथापि, यदि हितधारियों से मंगाई गई टिप्पधियों/सुझावों के परिणामस्वरुप मसौदा में कोई संशोधन हों, तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **धारा 92** | **धारा 92**<br><br>**धारा 92 के खण्ड** (2) (**घ**),(**च**), (**छ**), (**ज**), (**झ**), (**जे**), (**ठ**), (**ड**), (**ढ**), (**ण**), (**त**), (**थ**), (**द**) **तथा** (**ध**) **को हटाया जाएगा** | ये सभी खण्ड, नई धारा 92क में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। जिसके लिए अधिसूचित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम रुप से विनियम को अधिसूचित किए जाने से पहले एक पारदर्शी और खुले रुप से विचार-विमर्श की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। विचार-विमर्श की प्रक्रिया और खाद्य प्राधिकरण की बैठकों, जहां अधिसूचित किए जाने वाले विनियमों के प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, के दौरान,<br>भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के भी प्रतिनिधि होते हैं जो विचार के लिए खाद्य प्राधिकरण के समक्ष् लाए गए सभी प्रस्तावों की जांच करता है इसलिए, कुछ तकनीकी विनियमों को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से मुक्त होना उपयुक्त ही प्रतीत होता है। |
| 67. | **धारा 92 (2) (ड़ )**<br><br>**धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन मानव उपभोग के लिए आशयित खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक** | **धारा 92** (2) (**ड़** )<br><br>**'और मार्गदर्शक' शब्दों को हटाया जाना है।** | दिशा-निर्देशों के लिए, अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: हटा गया है।<br><br>पैकेजिंग जो कि समान रुप से महत्वपूर्ण है, के लिए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचित करना;**<br><br>**धारा 92 (2) (ट )**<br><br>धारा 23 के अधीन खाद्यों को चिन्हांकित करने और लेबल लगाने की रीति; | **92 (2) (ट)**<br><br>**'और लेबल लगाने' शब्दों के पश्चात,'और पैकेजिंग अपेक्षाएं' शब्दों को जोड़ा जाएगा।** | समर्थकारी प्रावधान के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। |
| 68. | **धारा 92 क**<br>नई धारा जोड़ी जानी है | विनियम बनाने के लिए खाद्य प्राधिकरण की शक्ति।<br><br>(1) खाद्य प्राधिकरण, पूर्व प्रकाशन और हितधारकों के परामर्श के बाद,अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकते हैं।<br><br>(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, इस | धारा 92 के संशोधन के सामने दिए गए औचित्य को देखते हुए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | तरह के विनियमन निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -<br><br>(घ) धारा 15 की उपधारा (4) के तहत वैज्ञानिक समिति और पैनलों की प्रक्रिया;<br><br>(च) धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत अपनी बैठकों में व्यापार के लेनदेन के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;<br><br>(छ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत खाद्य सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित तात्कालिकता के मद्देनजर नियम बनाना या संशोधित करना;<br><br>(ज) धारा 18 के तहत योज्यों की सीमा; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (झ) धारा 20 के तहत, दूषित पदार्थों, विषाक्तपदार्थ और भारी धातुओं आदि की मात्रा;<br><br>(जे) धारा 21 के तहत कीटनाशकों, पशु चिकित्सा औषधियों के अवशेषों आदि की सहिष्णुता सीमा;<br><br>(ठ) फॉर्म जिसमें धारा 26 की उपधारा (4) के तहत गारंटी दी जाएगी;<br><br>(ड) धारा 28 की उप-धारा (4) के तहत खाद्य रिकॉल प्रक्रियाओं से संबंधित शर्तें और दिशानिर्देश;<br><br>(ढ) धारा 29 की उपधारा (5) के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कामकाज से संबंधित नियम;<br><br>(ण) पंजीकरण प्राधिकारी और पंजीकरण के तरीके को सूचित करना; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का तरीका, इसके लिए देय शुल्क और ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत धारा 31 के तहत इस तरह के लाइसेंस को रद्द या फोर्टीफाइड किया जा सकता है;<br><br>(त) धारा 36 की उप-धारा (1) के तहत संबंधित क्षेत्रोंकेअभीहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के लिए प्रभारी होंगे;<br><br>(थ) धारा 40 की उपधारा (1) के तहत खाद्य का विश्लेषण कराने की प्रक्रिया, शुल्क आदि का विवरण;<br><br>(द) धारा 47 की उप-धारा (6) के तहत खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कार्यकलाप, प्रक्रिया; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ध) धारा 47 कीउपधारा (6) के तहत अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;<br><br>जोड़ें जाने वाले अतिरिक्त विनियम:<br><br>(ब). आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न या खाद्य कारोबार द्वारा आदतोंके कारण स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति के कारण नियमनजैसाकिधारा 34 में संदर्भित है<br><br>(भ).धारा 35 में उल्लिखित के रूप में रिपोर्टिंग, जांच, सुधारात्मक और निवारक उपायों सहित खाद्य सुरक्षा के संचालन के लिए निर्धारित तंत्र<br><br>(म) अधिनियम की धारा 43 (2ख) में यथा संदर्भितरेफरेंस प्रयोगशाला को | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | सौंपे जाने वाले निर्धारित कार्य<br>(य) अधिनियम की धारा 47(5) में यथा संदर्भित 'प्राधिकृत अधिकारी' द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्य<br><br>(यक) खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनुपालन की जाने वाली अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत अपराधों को शमन की निर्धारित प्रक्रिया और उनके अधीनस्थों को प्रदत्त इस कार्य की शक्तियां<br><br>(यख) अध्याय XI क, धारा 84क के अनुसार 'पशु चारे' के प्रशासन के साथ सौंपे जाने वाली तंत्र की शैक्षिक और अन्य अर्हताएं निर्धारित करना<br>(यग) धारा 23 में यथानिर्दिष्ट 'खाद्य संपर्क सामग्री' के निर्धारण की अपेक्षा | |

1920658/2020/FR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **प्रथम अनुसूची**<br>**{धारा 5(1)(ड़)}**<br><br>तेलंगाना राज्य का नाम और भविष्य में बनाए जाने वाले किसी राज्य का नाम अधिनियम में सम्मिलित करना अपेक्षित है। | अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित क्रमसंख्या और प्रविष्टियों को संशोधित किया जाएगा अर्थात -<br>जोन II<br>**"7. तेलंगाना" को जोड़ा जाना है**<br>Zone II<br>**"3. जम्मू और कश्मीर" को जोड़ा जाना है**<br>जोन V<br>3.दादर और नगर हवेली और दमण और दिव<br><br>दमन और दिव को क्रम संख्या 4 से हटाया जाना है<br>"**8. जम्मू और कश्मीर" को जोड़ा जाना है**<br>**"9. लद्दाख" को जोड़ा जाना है** | तेलंगाना और जम्मू तथा कश्मीर , लद्दाख राज्य के बनने से और दादर और नगर हवेली और दिव के विलय हो जाने के परिणामस्वरुप परिवर्तन भविष्य में नए बनने वालेराज्य को शामिल करने के लिए समर्थकारी प्रावधान का प्रस्ताव अधिनियमकी धारा5 में किया गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70. | **द्वितीय अनुसूची (देखें धारा 97)** | दूसरी अनुसूची की क.सं. 8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना है:<br>8. खाद्यसुरक्षा और मानक से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अंतर्गत जारी कोई अन्य आदेश | आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निरसित आदेशों को खाद्य सुरक्षा तक सीमित करना |
| 71. | **धारा 97**<br>**निरसन और व्यावृत्तियां**<br>(2) **यदि किसी राज्य में तत्समय इस अधिनियम के तत्समान, कोई अन्य विधि प्रवृत्त है, तो वह इस अधिनियम के प्रारंभ से ही निसित हो जाएगी और ऐसी दशा में सारधारण खंड अधनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों राज्य विधि के ऐसे उपबंध निरसित किए जा चुके हैं।** | धारा 97 निरसन और व्यावृत्तियां<br><br>धारा 97 की उप धारा (2) में 'इस अधिनियम के प्रारंभ' शब्दों के पश्चात 'खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारतीय दंड संहिता में राज्य संशोधनों सहित' शब्द जोड़े जाएंगे | यह सुनिश्चित किया जाना है कि भारतीय दण्ड संहिता में राज्य संशोधन एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होंगे और उनका निरसन हो जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **धारा 101**<br><br>**धारा 101** (1):<br><br>**यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठनाई उत्पान्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्रमें प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और कठनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :**<br><br>**परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।** | 101 (1) में प्रावधान को इस प्रकार संशोधित किया जाना है :<br><br>बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने अथवा उसमें संशोधन होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आदेश इस धारा के अंतर्गत नहीं किया जाएगा | प्रस्तावित संशोधनों के प्रभाव द्वारा कठिनाइयोंको दूर करने के लिए समर्थकारी प्रावधान जोड़े गए हैं। |